

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।

प्रकरण संख्या : 30/2024 (धारा 14 सिक्कुरिटाईजेशन)

रिलायंस एरोट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, मंजीकृत कार्यालय-11वीं मंजिल, नार्थ साइड, आर-टेक पार्क,
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400083

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. सुरेश कुमार गौर्य पुत्र श्री कालु राम गौर्य, पता-प्लॉट नम्बर 131, युवराज विहार, रोड़ नम्बर-17, वीकेआई 17, सीकर रोड़, जयपुर, राजस्थान-302013
2. पुष्पा देवी गौर्य पत्नी श्री सुरेश कुमार गौर्य, पता-प्लॉट नम्बर 185, श्री लक्ष्मी वाटिका-डी, बगराना, आगसा रोड़, जयपुर, राजस्थान-302012
3. मुकेश पुत्र श्री कालु राम, पता-बी-129, युवराज विहार, चार्ड नम्बर 01, जयपुर, राजस्थान-302013
4. रमेश कुमार पुत्र श्री गोपाल लाल, पता-53, पवन पुरी, चरण नदी, चार्ड नम्बर 01, जयपुर, राजस्थान-302013

अप्रार्थीगण

ऋणी, सहऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002.

उपस्थित:-श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 30.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.08.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सुरेश कुमार गौर्य पुत्र श्री कालु राम गौर्य के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 131, युवराज विहार, रोड़ नम्बर 17, वी के आई 17, सीकर रोड़, जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 10,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 10,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप

440
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर




में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 33,14,367/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.09.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सुरेश कुमार मौर्य पुत्र श्री कालु राम मौर्य के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 131, युवराज विहार, रोड़ नम्बर 17, वी के आई 17, सीकर रोड़, जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रतिलिपि हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर